न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 69 / 2021	2022 / 137	08.10.2021	06.08.2024

1.सरकार जरिये दिनेश चौवे, प्रवर्तन निरीक्षक, लक्ष्मणगढ, मुख्यालय अलवर।

<u>वनाम</u>

1.श्री विनोद कुमार पुत्र श्री खान चंद उम्र 37 वर्ष जाति खत्री निवासी वार्ड 9 पंजावी कॉलोनी, जालूकी रोड लक्ष्मणगढ अलवर।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत क्षमता 14.2 किग्रा के 8 खाली व 01 भरा (7 किग्रा0) घरेलु गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) 01 अवैध रिफलिंग यंत्र एवं 02 मोटरों को राजसात करने वावत्।

उपस्थितः–

01. श्री मोहन सिंह नरूका – वकील अप्रार्थी

–:निर्णयः–

प्रवर्तन निरीक्षक लक्ष्मणगढ, मुख्यालय अलवर ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत प्रस्तुत किया है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 05.02.2021 को दिये गये निर्देश की अनुपालना में घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण किए जाने सूचना मिलने पर जाय हेतु में हरि प्रसाद, प्रवर्तन अधिकारी, वहमशा श्री दिनेश चौवे, प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। मौके पर थानाधिकारी, लक्ष्मणगढ़ श्री अजीत सिंह को साथ लेकर जालूकी रोड पंजावी कॉलोनी, लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। हेड कॉनिस्टेवल श्री राजेन्द्र सिंह ने वताया हमारी गाडी दिन में लगभग दोपहर 12:30 वजे जालुकी रोड वस स्टेण्ड से लगभग 500 मीटर दूरी पर आटा पीसने की चक्की पर पहुंची तो 3 लाल रंग के एचपीसीएल के घरेलू गैस सिलेण्डर चक्की की दुकान में रखे हुए मिले। मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों को दुकान के वाहर रखवाया और पूछताछ की। संशय होने पर साईड वाले गेट को खुलवाया गया जिसमे 5 लाल रंग के घरेलू गैस सिलेण्डर मिले। इसी मकान में अवैध रिफिलिंग से संवंधित यो मोटरें पुरानी जिनके अवैध रिफलिंग से संवंधित विजली की डोरी व अन्य यंत्र मिले। इसके वाद चक्की के पास में पंजावी कॉलोनी में शटर लगे मकान को खुलवाने पर उसमें 1 लाल रंग का घरेलू सिलेण्डर व अवैध रिफलिंग वाली मोटर/यंत्र मिला। इस प्रकार कुल 9 लाल रंग के घरेलू सिलेण्डर, 1 अवैध रिकलिंग यंत्र व 2 मोटरें मिली। मौके पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उपस्थित श्री विनोद कुमार पुत्र श्री खान चंद उम्र 37 वर्ष जाति खत्री निवासी वार्ड 9 पंजावी कॉलोनी, जालूकी रोड, लक्ष्मणगढ़ से इनके बारे में पता करने पर इनसे संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। श्री विनोद कुमार ने अपने बयान में बताया कि वह चक्की स्पेलर चलाने का काम स्वयं की आटा चक्की की दुकान में करता है। चक्की की दुकान में रखे सिलेण्डर व मकान में मिले सिलेण्डरों के बारे में श्री विनोद कुमार ने बताया कि उसके घर धार्मिक आयोजन होने के कारण कुछ सिलेण्डर बाहर के थे एवं कुछ घर के थे तथा मोटरों एवं यंत्रों के बारे में श्री विनोद कुमार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

इस प्रकार इन 9 सिलेण्डर, 1 यंत्र व 2 मीटरों को नलियों सहित मौके पर ही जब्त किया गया। मौके पर इसकी फर्द उलपटटी बनाई गई जिसमें 8 सिलेण्डर खाली व सिलेण्डर में 7 किग्रा एलपीजी गैस होना पाया गया। मौके पर उपस्थित श्री विनोद कुमार के पृथक से बयान लिये गये। इस प्रकार श्री विनोद कुमार पुत्र श्री खान चंद उम्र 37 वर्ष जाति खत्री निवासी वार्ड 9 पजाबी कॉलोनी, जालूकी रोड, लक्ष्मणगढ द्वारा बिना वैद्य दस्तावेजों के अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो कि आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उक्त 8 खाली व भरा (7 किग्रा गैस) घरेलू गैस सिलेण्डर्स (क्षमता है 2 किग्रा) 1 अवैध रिफलिंग यंत्र एवं 2 मोटरों को जब्त करते हुए मै० शारदा एचपी गैस एजेंसी, लक्ष्मणगढ़ गैस के प्रतिनिधि श्री कुलदीप जैन की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द अनिग्रहण व कार्य सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त खाली व नत (7 किग्रा गैस) घरेलू गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 142 किग्रा) 1 अवैध रिफलिंग यंत्र एवं 2 मोटरों को राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित।

अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस 174 दिनांक 04.03.2024 के क्रम में अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि मिन अप्रार्थी की आटा पिसाई की दुकान है और प्रार्थी के परिवार मे सवामणी का कार्यक्रम आयोजित होना था जिसके लिए प्रार्थी द्वारा अपने निजिी परिचितो एवम रिश्तेदारो से सवामणी में खाना बनवाने के लिए घरेलु गैस सिलैण्डर रखे हुए थे जिन गैस सिलैण्डर का मौके पर किसी भी प्रकार से कोई व्यवसायिक उपयोग या अवैध रिफलिंग का उपयोग नहीं किया जा रहा था स्वंय प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा यह कथन अंकित किया है कि मौके पर दरवाजा खुलवाने पर सिलैण्डर रखे मिले थे जिससे स्पष्ट है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मौके पर वक्त जांच किसी भी प्रकार से अवैध रुप से सिलैण्डर का कोई उपयोग नहीं हो रहा था साथ ही जिन तथाकथित मशीनो को प्रकरण मे जब्त करना जाहिर किया गया है उनको न तो मौके से जब्त किया गया है और ना ही उनका प्रार्थी से कोई लेना देना है और ना ही वह प्रार्थी के मालिकाना हक की मशीन है जिन मशीनो को द्वेषता पूर्ण कार्यवाही करते हुए प्रकरण मे जब्त दिखाया गया है जिनका प्रार्थी से कोई लेना देना व सम्वन्ध सरोकार नहीं है।

मौके पर जांच के दौरान जांच अधिकारी को खाली सिलैण्डर रखे हुए मिले थे जो भरे हुए नहीं थे और केवल मात्र एक सिलैण्डर भरा हुआ 07 किलोग्राम गैस का मिला इस प्रकार जांच अधिकारी को मौके पर कुल 08 सिलैण्डर रखे हुए मिले जिनमे से 07 सिलैण्डर खाली अवस्था में थे चूंकि प्रार्थी के परिवार में सवामणी का प्रोग्राम था और हलवाई को खाना बनाने के लिए प्रार्थी द्वारा अपने निजी परिचितो एवम रिश्तेदारो से उक्त सिलैण्डरो को भरवाने की लिहाज से प्राप्त किया गया था और मौके पर ऐसा कोई वाहन खडा नही मिला जिसमे प्रार्थी या अन्य किसी दीगर व्यक्ति द्वारा गैस की रिफिलिंग की जा रही हो जिससे स्पष्ट है कि उक्त की गई कार्यवाही द्वेषता पूर्ण कार्यवाही है तथा प्रकरण मे जब्तशुदा मशीनो से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है तथा जब्तशुदा सिलैण्डर के मालिकाना हक के कागजात प्रार्थी के पास उपलब्ध है जो वक्त बहस न्यायालय के समक्ष पेश कर दिये जावेगें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय विशेष हर्जा खर्चा के खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। दिनांक 05.02.2021 को दुकान का निरीक्षण किया गया। जालुकी रोड बस स्टेण्ड से लगभग 500 मीटर दूरी पर आटा पीसने की चक्की पर पहुंची तो 3 लाल रंग के एचपीसीएल के घरेलू गैस सिलेण्डर चक्की की दुकान में रखे हुए मिले। मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों को दुकान के बाहर रखवाया और पूछताछ की। संशय होने पर साईड बाले गेट को खुलवाया गया जिसमे 5 लाल रंग के घरेलू गैस सिलेण्डर मिले। इसी मकान में अवैध रिफिलिंग से संबंधित यो मोटरें पुरानी जिनके अवैध रिफलिंग से संबंधित बिजली की डोरी व अन्य यंत्र मिले। इसके बाद चक्की के पास में पंजाबी कॉलोनी में शटर लगे मकान को खुलवाने पर उसमें 1 लाल रंग का घरेलू सिलेण्डर व अवैध रिफलिंग वाली मोटर/यंत्र मिला। इस प्रकार कुल 9 लाल रंग के घरेलू सिलेण्डर, 1 अवैध रिकलिंग यंत्र व 2 मोटरें मिली। मौके पर उपस्थित श्री विनोद कुमार पुत्र श्री खान चंद उम्र 37 वर्ष जाति खत्री निवासी वार्ड 9 पंजाबी कॉलोनी, जालूकी रोड, लक्ष्मणगढ़ से इनके बारे में पता करने पर इनसे संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री विनोद कुमार पुत्र श्री खान चंद के द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा भी नोटिस के जवाब में कोई खास तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्त किए गये 8 खाली व 01 भरा (7 किग्रा0) घरेलु गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) 01 अवैध रिफलिंग यंत्र एवं 02 मोटरों को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या0 अति0 जि0 कलै0 एवं अति0 जि0 मजि0
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर